



90

II

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश न्यायालय

प्रकरण क्रमांक R55-II /09 निरारानी

श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री अनार सिंह तोमर

निवासी ग्राम तेहरा तहसील गोहद, जिला भिंड

— आवेदिका

बनाम

श्रीमती पुष्पा तोमर पत्नी स्व. श्री केशलेन्द्र सिंह

तोमर निवासी ग्राम नवादा पोस्ट ओपिस विधि-

पुरा, थाना लवेडी जिला इटावा उ.प्र. ४

— अनावेदिका

निरारानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र भू राजस्व संहिता 1959

विरुद्ध आवेदिनांक 5.9.2008 प्रकरण क्रमांक 21/07-8/अ-6

द्वारा पारित न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील

गोहद जिला भिंड

माननीय महोदय

आवेदिका की ओर से निरारानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका की शादी आवेदिका के पुत्र स्व. कौशलेन्द्र सिंह तोमर से हुआ था, और शादी के कुछ समय पश्चात से कौशलेन्द्र सिंह तोमर की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अनावेदिका ने पत्नी धर्म न निभाते हुये पुनर्विवाह कर लिया इसके अलावा अनावेदिका ने अपने को कौशलेन्द्र सिंह का वारिस मानते हुये सर्वे नम्बर 558, 559, 560, 561, 562, 564, 565. ~~240~~ ~~स्व. 0-26~~ ~~अरे~~ तथा सर्वे नम्बर ~~2511/~~ ~~030~~ ~~स्व. 10-10~~ ~~अरे~~ के अन्तर्गत भाग पर नामांतरण हेतु विचारणा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारणा न्यायालय ने अनावेदिका का नामांतरण स्वीकार किया तत्पश्चात आवेदिका ने अनुविभा

श्री प्रदीप श्रीवास्तव
द्वारा आज दि. 13-1-09 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० १३/१/०९

13.1.09
Pradeep K. Shrivastava

Handwritten signature

